

## एनआरसी लसिट से बाहर होना वदिशी होने की घोषणा नहीं : गृह मंत्रालय

### चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सटिज़न (NRC) का हसिसा नहीं हैं उन्हें अपने आप वदिशी घोषति नहीं कयि जाएगा। ऐसे लोगों को दावा और आपत्तदिर्ज कराने के लयि एक महीने का समय दयि जाएगा। इसके अलावा उन्हें न्यायकि सहायता भी मलिगी।

### परमुख बदि

- सरकार 31 अगस्त तक अंतमि एनआरसी प्रकाशति करने की प्रक्रयिा को पूरा करने के लयि तथा इसके सुधार की नगिरानी के लयि भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) से भी अपेक्षा करती है।
- एनआरसी 30 जुलाई को प्रकाशति कयिा जाना है। यह केवल एक मसौदा है और इसके प्रकाशन के बाद जनिका नाम इसमें से हटाया जाएगा, उन्हें दावा और आपत्तदिायर करने के लयि पर्याप्त अवसर दयिा जाएगा।
- सभी दावों एवं आपत्तयिों की उचति तरीके से जाँच की जाएगी। शकियतकर्त्ताओं को पर्याप्त समय देने के बाद सभी आपत्तयिों और शकियतों की जाँच होगी और उसके बाद एनआरसी अधकिारी एक महीने का समय देंगे। इसके बाद ही अंतमि एनआरसी का प्रकाशन कयिा जाएगा।
- गृह मंत्रालय के मुताबकि अंतमि एनआरसी से अलग कयिे जाने का मतलब यह नहीं कि कसिी को वदिशी घोषति कयिा जाएगा। यद कि कोई असंतुष्ट है तो वह राज्य में वदिशी न्यायाधकिरण के पास न्याय के लयि जा सकता है। असम में करीब 300 वदिशी न्यायाधकिरण हैं।
- मंत्रालय के अनुसार, कसिी को भी इस काम से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून एवं व्यवस्था की स्थति से नपिटने में राज्य प्रशासन की मदद करने के लयि पर्याप्त संख्या में अर्धसैनकि बलों को असम भेजा गया है।
- उल्लेखनीय है कि एनआरसी को 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षर कयिे गए "असम समझौते" के अनुसार अद्यतन कयिा जा रहा है और यह प्रक्रयिा सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेशों के अनुसार की जा रही है।

### एनआरसी असम क्या है?

- एनआरसी का पूरा रूप नागरकिों का राष्ट्रीय रजिस्टर है। एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरकिों का वविरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार कयिा गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना कयिे गए सभी व्यक्तयिों के वविरण शामिल थे।
- वर्तमान में असम में एनआरसी को अपडेट कयिा जा रहा है। असम में एनआरसी अपडेट को नर्यित्ति करने वाले प्रावधान नागरकिता अधनियिम, 1955 और नागरकिता (नागरकिों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नयिम, 2003 में दयिे गए हैं।
- एनआरसी अद्यतन के लयि प्रारूप को संयुक्त रूप से असम सरकार और भारत सरकार द्वारा वकिसति कयिा गया है।
- असम में घुसपैठयिों के खलिाफ वर्ष 1979 से छह साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद 15 अगस्त, 1985 को केंद्र की राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच असम समझौता हुआ था।
- उसी समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी को अपडेट करने का काम चल रहा है। असम समझौते के मुताबकि 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरकिों को यहाँ से जाना होगा चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान।